POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 27.09.2025

1. थाना सूरजपुर पुलिस व सर्विलांस टीम सेन्ट्रल नोएडा द्वारा नकली सोने के आभूषणों को असली बताकर धोखाधड़ी करने वाला वांछित फर्जी सुनार गिरफ्तार, कब्जे से स्वर्ण-चांदी के नकली आभूषण, सिक्का (भारतीय मुद्रा चांदी जैसी), नकली मूर्तियां, एक इलेक्ट्रॉनिक टैग प्रिंटर मशीन व नगद रूपये बरामद। श्रीमान पुलिस उपायुक्त सेन्ट्रल नोएडा महोदय द्वारा पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपये नगद इनाम देने की घोषणा की गयी है ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **27.09.2025** को **थाना सूरजपुर पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से पीली धातु के आभूषणों को असली बताकर धोखाधड़ी करने वाला फर्जी सुनार पंकज कपूर पुत्र बलदेव राजकपूर को साया अपार्टमेंट इन्द्रापुरम, गाजियाबाद से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से **स्वर्ण-चांदी के नकली आभूषण, सिक्का (भारतीय मुद्रा चांदी जैसी), नकली मूर्तियां, एक इलेक्ट्रॉनिक टैग प्रिंटर मशीन व 50,500 रूपये नगद बरामद** हुए है। अभियुक्त थाना सूरजपुर के मु0अ0सं0 560/2025 धारा 316(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 561/2025 धारा 316(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस में वांछित चल रहा था ।

अपराध का तरीका-- अभियुक्त पंकज कपूर द्वारा थाना सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत कम कीमत में शुद्ध सोने के गहनों का झांसा देकर लोगों को नकली धातु से बने आभूषण बेचे जा रहे थे। इसी क्रम में अभियुक्त पंकज द्वारा पैरामाउण्ट अपार्टमेंट में अपनी ज्वैलर्स शॉप पर बहुत से ग्राहकों को फर्जी व मनगढ़त तरीकें से बेवकूफ बनाया गया था। जिसे लोग, स्वर्णकार समझकर अपने जेवर आदि भी गिरवी रखने लगे थे। इसी क्रम में मार्च के महीने में पीड़ित सौरभ द्वारा अभियुक्त के पास अपनी गले की चैन(पीली धातु) गिरवी रखकर 1,30,000 रूपये नगद ले लिये थे। सौरभ द्वारा एक लाख रूपये वापस कर दिये गये व 30,000 रूपये शेष थे, जिस पर अभियुक्त को लालच आ गया और सौरभ से सम्पर्क बंद कर दिया। अभियुक्त द्वारा अप्रैल माह 2025 में दिवाकर नाम के व्यक्ति को पीली धातु के चार नकली बिस्किट वजनी क्रमशः 50, 30, 30, 35 ग्राम तथा पीली धातु का नकली सोने का एक हार को 15 लाख रूपये में बेचा गया था, जोकि स्वर्ण धातु के नही थे। अभियुक्त, लोगो को नकली स्वर्ण धातु एवं चांदी धातु के बने आभूषण, सिल्वर धातु से निर्मित मूर्तियाँ को बेचकर अपनी शॉप बंद करके लगभग 01 वर्ष पूर्व फरार हो गया था। अभियुक्त पुनः थाना सेक्टर-142 क्षेत्र में ज्वेलर्स शॉप खोलकर लोगो के साथ धोखाधड़ी करने लगा था, जिसके विषय में थाना सेक्टर-142 पर अभियोग पंजीकृत है ।

अपराध करने का तरीका--

1. अभियुक्त द्वारा कबूल किया गया कि वह पिछले कई सालो से यह धोखाधड़ी कर नकली आभूषणो व अन्य सामान को असली बताकर लगातार बेचता आ रहा था।
2. नकली आभूषणों को स्थानीय बाज़ार से उन पर शुद्धता की झूठी मुहर लगाता था।
3. कई ग्राहकों को असली कहकर नकली गहने बेच दिए थे, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है।
4. आरोपी के पास कोई वैध लाइसेंस अथवा जीएसटी पंजीकरण नहीं पाया गया।
5. अभियुक्त ना ही स्वर्णकार है और नही स्वर्ण आभूषणो का व्यवसाय करता है। अभियुक्त लोगो को ठगने के लिए नकली आभूषण एवं दुर्लभ मूर्तियो के नाम पर नकली धातु (पीली, सफेद धातु) की मूर्तियाँ जेवर आदि लोगो को देकर मोटा धन वसूल करता था।

6. अभियुक्त थाना इन्द्रापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 798/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में भी वांछित चल रहा है।

अभियुक्त का विवरण--

पंकज कपूर पुत्र बलदेव राजकपूर निवासी कलन्दर चौक, पानीपत हरियाणा वर्तमान पता साया गोल्ड एवेन्यू थाना इन्द्रापुरम, जिला गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1.मु0अ0सं0 93/2023 धारा 406/504/506 भादवि थाना लिंक रोड, गाजियाबाद।

2.मु0अ0सं0 1110/2023 धारा 420/406/34 भादवि थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।

3.मु0अ0सं0 1400/2023 धारा 420/406 भादवि थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।

4.मु0अ0सं0 452/2024 धारा 420/406 भादवि थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।

5.मु0अ0सं0 492/2024 धारा 420/406/506/507 भादवि थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।

6.मु0अ0सं0 506/2024 धारा 420/406/504/507 भादवि थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद।

7.मु0अ0सं0 798/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (वांछित)।

8.मु0अ0सं0 560/2025 धारा 316(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

9.मु0अ0सं0 561/2025 धारा 316(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

10.मु0अ0सं0 178/2025 धारा 316(2)/318(4) बीएनएस थाना सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 61 कडे व कंगन (पीली धातु)
2. 71 अंगूठी, (पीली धातु)
3. 25 गले की चैन (पीली धातु)
4. 26 मंगलसूत्र/हार व 8 ब्रेसलेट (पीली धातु)
5. 170 झूमकी (पीली धातु)
6. 44 नोट सिल्वर (सिल्वर धातु)
7. 69 नोट्स सिल्वर पैकिंग भिन्न भिन्न (सिल्वर धातु)
8. 24 नोट सिल्वर पैकिंग भिन्न (सिल्वर धातु)
9. दो खडऊ (सिल्वर धातु)
10. 13 कटोरी सिल्वर भिन्न भिन्न
11. कुल 50,500 रूपये नगद
12. दुकान की प्रचार प्रसार पम्पलेट 20 वर्क
13. 01 इलेक्ट्रॉनिक टेग मशीन रंग काला

2. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा अपने अपहरण की झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण-- दिनांक 24.09.2025 को थाना फेस-2 पर पीड़ित द्वारा तहरीर देकर सूचना दी गई कि उसका बडा भाई आशाराम पुत्र ओमप्रकाश दिनांक 02.09.2025 को उनके जीजा के पास ग्राम नयागांव में आया था। दिनांक 17.09.2025 को आशाराम नयागांव से घर जाने के लिये कहकर निकल गया था, लेकिन घर नही पहुंचा। दिनांक 21.09.2025 को पीड़ित के मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके भाई का अपरहण कर लिये जाने की सूचना दी गई और फिरौती में 20 लाख रूपये की मांग की गयी। उक्त सूचना पर पुलिस उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में घटना के सफल अनावरण करने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **27.09.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से अपरहण के झूठे प्रकरण का सफल अनावरण करते हुए अपने अपहरण की झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त आशाराम को गांव बद्दी, थाना बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से सकुशल तलाश कर **गिरफ्तार** किया गया।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त आशाराम द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह ऑनलाइन गेम खेलता है तथा गेम में रूपये लगाता है। उसके द्वारा अपने दोस्तो को मजबूरी बताकर पैसे उधार लिये थे जिन्हे वह ऑनलाइन गेम में 4,70,000 रूपये हार गया था। दिनांक 17.09.2025 को वह अपने जीजा के पास से घर जाने के लिये कहकर चला गया था और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभियुक्त द्वारा अपने घर वालो से पैसे एठने के लिये योजना बनायी गयी। वह दिल्ली से हिमाचल राज्य चला गया तथा ग्राम काथा गांव में एक कमरा किराये पर लेकर रह रहा था। अभियुक्त पहले भी हिमाचल राज्य में रहकर नौकरी कर चुका है। फिर योजना के मुताबिक अभियुक्त द्वारा अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप के द्वारा अपने छोटे भाई के मोबाइल सम्पर्क करके ऐसा प्रदर्शन किया गया कि जैसे कुछ लोगो द्वारा उसका किडनेप कर लिया गया है और वह लोग अभियुक्त का मुंह व हाथ-पैर बांधकर फोटो भेजकर 20 लाख रूपये की मांग कर रहे है। अभियुक्त द्वारा सोचा गया कि गांव में उनकी 06 बीघा जमीन पड़ी है, उसके परिजन उस जमीन को बेचकर पैसों का इंतजाम कर देगे। अभियुक्त अपहरणकर्ता बनकर अपने छोटे भाई को अपनी मुंह पर बंधे रूमाल की फोटो बनाकर व मैसेज भेजकर घरवालो को धमकी देकर डराने व धमकाने लगा और पैसो की डिमान्ड करने लगा। अभियुक्त के छोटे भाई द्वारा डर की वजह से यूपीआई के माध्यम से 5,000 रूपये भी ट्रासंफर किये गये थे।

1. अपहृत/अभियुक्त आशाराम पुत्र ओमप्रकाश उपरोक्त कलर ट्रैडिंग बी.डी.जी गेम ऐप ऑनलाइन खेलने का आदी है।
2. अपहृत/अभियुक्त आशाराम जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में 4,70,000 रूपये उधार लेकर कलर ट्रैडिंग बी.डी.जी गेम एप में लगाकर हार गया था।
3. अपहृत/अभियुक्त आशाराम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर अपने अपहरण की फर्जी योजना बनाकर दिल्ली से हिमाचल प्रदेश चला गया।

4. अपहृत/अभियुक्त आशाराम द्वारा योजना के मुतबिक अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप के द्वारा अपने छोटे भाई के मोबाइल नम्बर पर अपने अपरहण के फर्जी फोटो भेजकर 20 लाख रूपये की मांग की गयी।
5. अपहृत/अभियुक्त आशाराम द्वारा सोचा गया कि हमारी गांव में 06 बीघा जमीन पड़ी है, परिजन उस जमीन को बेचकर पैसों का इंतजाम कर देगे और इस तरह वह कलर ट्रैडिंग बी.डी.जी गेम एप से जो रूपये हारे है उनको आशाराम समय से चुका देंगा।
6. अपहृत/अभियुक्त आशाराम उपरोक्त लगातार अपने छोटे भाई को अपनी अपहरण की फर्जी फोटो बनाकर व मेसज भेजकर घरवालो को डराने व धमकाने लगा और पैसो की डिमान्ड करने लगा।

अभियुक्त का विवरण--

आशाराम पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम नगलाकरन थाना पटियाली जिला कासगंज।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 471/2025 धारा 308(5) बीएनएस थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

05 एटीएम कार्ड व 01 आधार कार्ड